भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 52A/2018-19

बाबुराम हेम्ब्रम **बनाम** करण सरदार

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्यु
30-8-18		

14-5

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 1213 दिनांक 12.07.18 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 52A/2018-19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता बाबुराम हेम्ब्रम पिता स्व0 कुमार हेम्ब्रम, ग्राम-बड़ाकांकड़ा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावां ने गृह मरम्मति एवं हल-बैल खरीदने हेतु क्रेता करण सरदार, पिता राखाल सरदार, ग्राम-कमलपुर, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला- खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
बड़ाकांकड़ा	258	122	94	3.75डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के दादाजी के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। जिसमें से 3.75डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.6.25 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'हो' एवं 'भूमिज' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 3.75डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

30/8/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।